न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. **174 / 2023**

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अनवान : अब्दुल जबार वगैरा बनाम अब्दुल करीम उर्फ अब्दुल रहमान वगैरा

वकील प्रार्थी :– **श्री मोहनलाल खिलेरी**

वकील विप्रार्थी :– **श्री फताराम गोदारा**

सहायक कलक्टर चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश आदेश 07 नियम 11 सीपीसी

निर्णय

दिनांक :– 23.07.2024

वकील प्रार्थी (जो मूल वाद में प्रतिवादी) ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 का प्रस्तुत किया। जिसकी प्रति विप्रार्थी वकील (जो मूल वाद में वादी वकील) को दिलाई गई। विप्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का जवाब किया गया ।

उपस्थिति अधिवक्ताओं की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पर सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अ. का वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत न्यायालय हाजा में पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है।

उक्त वाद मनगढत एवं बेबुनियाद आधार पर प्रस्तुत किया गया है क्योंकि वादीगण स्व. पनु की जायन्दा पुत्र व पुत्री नहीं है और न ही [illegible] स. 1 के रक्त संबंधी है। वादीगण द्वारा वाद में जो वंशवृक्ष पेश किया [illegible] किया गया है, प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत वंशवृक्ष सही है और उसके [illegible] अल्प [illegible]यन्दा पुत्र व पुत्री नही है। ऐसी स्थिति में वादीगण का प्रतिवादी [illegible] 1 अब्दुल करीम की [illegible]दारी भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि स्व.पन्नु

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:15:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

की मृत्यु पश्चात प्रतिवादी सं. 1 अब्दुल करीम ही मुस्लिम विधि अनुसार एकमात्र वारिश है, मुस्लिम विधि अनुसार मृत व्यक्ति के उतराधिकारी उसके केवल जायन्दा पुत्र – पुत्री ही होंगे, अजनबी व्यक्ति विरासत का वारिश नहीं हो सकता है तथा वादीगण को धारा 40 रा.का.अ. के तहत फौतगी पर उतराधिकारी हक प्राप्त करने के उतराधिकारी नहीं है। वादीगण स्व.पन्नू के पुत्र – पुत्री नहीं है और न ही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वादीगण को स्व.पन्नू का उतराधिकारी घोषित किया गया है और न ही कोई ऐसा प्रमाण पत्र पत्रावली पर मौजूद है।

वादग्रस्त भूमि का सेटलमेन्ट अल्फ के नाम हुआ, अल्फ के फौत होने पर उसके पुत्र हुसैन एवं पनु के नाम से हुआ । वादग्रस्त भूमि में पनु के फौत होने पर उसके एक मात्र वारिश अब्दुल करीम के नाम उतराधिकार के विरासत का नामान्तरकरण पारित किया गया तब से लगातार प्रार्थी की खातदारी है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में हसैन के वारिशान द्वारा एक राजस्व वाद 85/10 सुहाणा बनाम अब्दुल करीम प्रस्तुत किया गया था जिसमें भी पनु के भाई हुसैन इत्यादि द्वारा दावे में पनु का एकमात्र पुत्र अब्दुल करीम बताया गया, यदि पनु के अब्दुल करीम के अलावा अन्य कोई वारिस होते तो अवश्य ही उक्त दावे में उनके नाम भी अंकित होते, उक्त वाद में तहसीलदार चौहटन द्वारा अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी वादीगण पनु के वारिश नहीं माना है तथा अब्दुल करीम उर्फ अब्दुल रहमान ही एकमात्र वारिश बताया गया है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। बिनायवाद (*Cause Of Action*) वादीगण को वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण द्वारा स्व. पनु के फौतगी 1971 में होना स्वीकार किया गया तथा दावा 2018 में करीब 50 वर्ष पश्चात म्याद बाहर वाद प्रस्तुत किया गया, जिसके लिए म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में कोई सन्तोष जनक कारण भी नहीं बताया गया है। इसलिए वाद काल बाधित होने एवं विधि द्वारा वर्जित होने से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारीज योग्य है।

वादीगण का वाद निराधार तथ्यों पर आधारित होने एवं स्व.पन्नू के वारिश नहीं होने से उन्हें किसी तरह से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, उक्त वाद बिना अधिकार एवं विधि के होने से मात्र प्रतिवादी सं. 1 को तंग एवं परेशान करने के आशय से युक्त होने से विधि द्वारा वर्जित है। विधि के नियमों के प्रतिकूल होने से उक्त वाद मय खर्चा काबिल खारीज करने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:15:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे निम्न दस्तावेज पेश किये गये :–

1. श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर मु.जोधपुर की अपील सं. 11/2011 अब्दुल करीम बनाम सुहाणा वगैरा की आदेशिकाओं छायाप्रति।

2. सहायक कलक्टर एवं SDO चौहटन के राजस्व वाद 85/10 सुहाणा बनाम अब्दुल करीम से संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये :–

1- 2008 (2) RLW 1390 (Raj) Temple of Thakur Shri Mathuradas Ji, Chhota Bandar ***v/s*** Shri Kanhaiyalal & Ors

2- 2008 (2) RJT 1520 Rohitash Singh V/s Prithvi singh & Ors

3- Air 1991 Ajmer Kaur And Punjab State

4- 2021 (1) RRT 535 Kedarmal Sharma & Ors ***v/s*** Jagdish & Ors

5- 2022 (1) RRT 444 Pappu khan & Ors ***v/s*** Payara singh & Ors

6- 2019 (1) RRT 268 Bodu Ram V/s Ganesh

7- 2019 (2) RRT 1176 Dahnpat Kanwar (Late) & Ors V/s Smt Shanti & Ors

8- 2019 (2) RRT 780 Raghwendra Sharan Singh V/s Ram Prasanna Singh

9- 2014 (3) DNJ (Raj) 1271 Anil Kumar Shrivastava V/s Mukesh Chand Saxena

10- 2013 (3) DNJ (Raj) 1343 Mohanlal V/s Mohanlal

विप्रार्थी वकील (जो वाद में वादीगण अधिवक्ता) ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 की बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 पेश किया है वो मनगढत एवं बेबुनियाद आधार पर प्रस्तुत किया गया है क्योंकि वादीगण एव प्रतिवादी सं. 1 के का.मु. स्व. पनु की जायन्दा पुत्र व पुत्रिया है । जिसके संबध में समस्त प्रकार के पहचान दस्तावेज पेश किये गये है तथा वाद मे साक्ष्य सबूत एवं दस्तावेजो से इसे साबित करेगा। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 मे यह तथ्य साबित नही किये जा सकते है। वादीगण द्वारा वाद मे जो वंशावली [illegible] पेश किया गया है वो सही प्रस्तुत किया गया है. प्रार्थना पत्र मे प्रस्तुत समस्त प्रार्थी वकील द्वारा गलत पेश किया गया है। मुस्लिम विधि अनुसार मृतक व्यक्ति के वैध वारिस पुत्र पुत्रिया एवं पत्नी होती है. इस प्रकार स्व.पनु पुत्र अल्फ के वैध वारिशान वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के का.मु. है। प्रतिवादी सं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:15:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

अब्दुल करीम उर्फ अब्दुल रहमान पनु का बड़ा पुत्र था तथा हमारे घर का कर्ताधर्ता था इस कारण पनु के फौत होने पर वादीगण को अंधेरे में रखकर अपने अकेले के नाम से नामान्तरकरण भरवा लिया गया । वादीगण को इसकी जानकारी होने पर वादीगण द्वारा श्रीमान के न्यायालय में घोषणा का वाद पेश किया गया, जिसमें वादीगण साक्ष्य सबूतो के आधार पर वैध वारिश एवं उतराधिकारीता साबित करेगा, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 के आधार पर यह तय नहीं होगा इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 खारीज योग्य है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में वर्णित तथ्यों के आधार पर वादपत्र खारीज नहीं किया जा सकता, प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 में निर्धारित चार बिन्दुओं के आधार पर ही वादपत्र खारीज किया जा सकता है जो प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 से साबित नहीं होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

वादीगण स्व.पनु की औलाद है लेकिन प्रतिवादी सं. 1 ने पनु के फौत होने पर वादीगण को अंधेरे में रखकर अपने अकेले के नाम से नामान्तरकरण भरवा लिया गया , जो विधि विरूद्ध एवं सरासर गलत है। वादीगण द्वारा किसी भी प्रकार से मगढत तथ्यों के आधार पर वाद पेश नहीं किया है बल्कि प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वो मनगढत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में वैधवारिश के संबंध में 20/– रूपये स्टाम्प नोटेरी सहित शपथ पत्र, अपने माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, भाई अब्दुलकादर का मृत्यू प्रमाण पत्र , वादीगण अंकतालिका, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि की प्रतिया वाद पत्र में पेश की है, जिनसे यह साबित होता है कि वादीगण पनू के वैध वारिश है तथा वाद विधि विरूद्ध नहीं है, इस प्रकार प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 गलत, मनगढ़त तथ्यों पर आधारित होने से खारीज योग्य है।

विप्रार्थी वकील (जो वाद में वादीगण अधिवक्ता) ने इस संबंध में फहरिस्त दस्तावेज 1. ग्राम पंचायत पालनपुर का भूखण्ड वसियत के संबंध में प्रमाण पत्र 2.पीढीनामा का प्रमाण पत्र 3.समझौता प्रमाण की छायाप्रतिया पेश की ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:15:46 IST
Reason: SelfAttested

विप्रार्थी वकील (जो वाद में वादीगण अधिवक्ता) ने भी बहस के समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्त पेश किये :–

1- 2018-19 (Supp.) RRT 272 Nand Kishore V/s Brahmdutt Page no- 272 to 274

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

2- 2022 (1) RRT 265 Prakash chand V/s Shyamsundar Page No. 265 to 268

3- 2022 (2) RRT 1188 Bhor Ram @ Bhawar singh V/s Navneet Singh & Ors Page No. 1188 to 1193

4- 2015 (1) RRT 204 Sudari (Smt) & Ors V/s Smt. Kali Devi & Ors Page No. 204 to 209

विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, अधिवक्ताओं द्वारा अपनी बहस के समर्थन में पेश न्यायिक दृष्टान्तों एवं विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन किया गया। दोनो पक्षों द्वारा पेश वृक्षवंशावली का अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में पनु की फौतगी के करीब 50 वर्षो बाद उक्त वाद पेश किया गया, इतने वर्षो बाद वाद पेश करना संदेह पैदा करता है जो काल बाधित की श्रेणी मे आता है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में अन्य वाद वाद 85/10 सुहाणा बनाम अब्दुल करीम मे भी वादीगण को स्व. पनु का वारिश नहीं बताया गया है तथा अब्दुल करीम उर्फ अब्दुल रहमान ही एकमात्र वारिश बताया गया है। वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त से संबंधित किसी प्रकार का कोई साक्ष्य सबूत पत्रावली पर मौजूद नहीं पाया गया है जो *Cause Of Action* उत्पन्न होने का कोई साक्ष्य नहीं है। वादीगण द्वारा किसी सिविल न्यायालय में उतराधिकार हेतु कोई पैरवी की है इसका पत्रावली पर कोई दस्तावेज नही है। प्रार्थी वकील द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे पेश न्यायिक दृष्टान्त बखूबी चस्पा होते है तथा वादीगण अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत वाद में चस्पा नहीं होते है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद खारीज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को खुले इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:15:46 IST
Reason: SelfAttested

(सूरजभान विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन